



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50080

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 826 वर्ष 2026

गीता देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 11 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राम जीत मिश्र

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित राहत हेतु दाखिल की गई है :
“परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश निर्गत किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्था संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 463, संगणकीकृत वाद संख्या 202654143658050129 (गीता बनाम मोती), जो कि उत्तर प्रदेश चकबंदी एवं जोत संधारण अधिनियम की धारा 9A(2) के अंतर्गत लंबित है, का निर्धारित अथवा नियत अवधि के भीतर निस्तारण करें।”
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की कि उपर्युक्त वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश निर्गत किया जाए।
4. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, इस वाद को लंबित रखे जाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः यह न्यायालय, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि प्रत्यर्था संख्या 2 उपर्युक्त वाद का विधि के अनुसार, कारणयुक्त एवं स्पष्ट (स्पीकिंग) आदेश द्वारा, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, इस आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से यथाशीघ्र, अधिमानतः **छह माह** की अवधि के भीतर निस्तारण करें।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उपर्युक्त निर्देशों के साथ यह रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

दिनांक : 11 मार्च, 2026

वी.आर.

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।